

## अर्द्ध-न्यायिक न्यायालयों का संचालन

### प्रलिस के लिये:

भारत में अर्द्ध-न्यायिक निकाय

### मेन्स के लिये:

भारत में अर्द्ध-न्यायिक निकाय, अर्द्ध-न्यायिक निकायों की भूमिका और बेहतर संचालन के उपाय

## चर्चा में क्यों?

प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा उचित निरीक्षण एवं स्वामित्व का अभाव अर्द्ध-न्यायिक न्यायालयों के सामने सबसे गंभीर समस्या है।

- कई राज्य लंबित मामलों की संख्या या नपिटान की दर के बारे में जानकारी संकलित नहीं करते हैं।

## अर्द्ध-न्यायिक निकाय:

### परिचय:

- “अर्द्ध-न्यायिक निकाय” न्यायालय अथवा अधिनियम के अतिरिक्त सरकार का एक अंग है, जो नज्ी हतिधारकों के अधिकारों को कानून निर्माण द्वारा प्रभावित करता है।
- यह अनिवार्य नहीं है कि एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय को आवश्यक रूप से न्यायालय जैसा संगठन होना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये [भारत निरवाचन आयोग](#) भी एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, लेकिन न्यायालय के समान इसके कर्तव्य प्राथमिक नहीं हैं।
- भारत में अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकाय:
  - [राष्ट्रीय हरति अधिकरण](#)
  - [केंद्रीय सूचना आयोग \(CIC\)](#)
  - [लोक अदालत](#)
  - [वृत्त आयोग](#)
  - [राष्ट्रीय उपभोक्ता वृत्त निवारण आयोग](#)
  - [आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण](#)
  - [रेल दावा न्यायाधिकरण](#)

### शासन में भूमिका:

- पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया में खर्च के डर से आबादी के एक बड़े हिस्से का न्यायालयों की ओर रुख करने से हचिकचिना आम बात थी जो कि न्याय के उद्देश्य की वफिलता दर्शाती है।
  - वहीं अर्द्ध-न्यायिक निकायों की कुल लागत काफी कम होती है जो लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिये प्रोत्साहित करती है।
- अधिकरण और अन्य ऐसे निकाय आवेदन या साक्ष्य आदि जिमा करने के लिये किसी लंबी या जटिल प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं।
- अर्द्ध-न्यायिक निकाय, वशिष्ट मामलों को उठाते समय न्यायपालिका की सहायता उसके कार्यभार को साझा करने के रूप में करते हैं।
  - जैसे राष्ट्रीय हरति अधिकरण पर्यावरण और [प्रदूषण](#) से संबंधित मामलों का फैसला करता है।
- अर्द्ध-न्यायिक निकाय सुलभ, जटिलताओं से मुक्त, वृत्त नपिटान के साथ कुशल वशिषज्ओं द्वारा संचालित होते हैं।

### चुनौतियाँ:

- लंबित मामलों पर बातचीत करने के संदर्भ में अर्द्ध-न्यायिक एजेंसियों पर वचिार नहीं किया जाता है।
  - ये आमतौर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं और बड़े पैमाने पर [आपराधिक प्रक्रिया संहति](#) के तहत भूमि, करियेदारी, उत्पाद कर, हथियार, खनन या निवारक कार्यों से संबंधित होते हैं। आमतौर पर इनमें से कई कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी देखी जाती है।
  - कानून और व्यवस्था, प्रोटोकॉल, समन्वय एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों जैसे कर्तव्यों के चलते व्यस्तता के कारण उन्हें अदालत

के काम के लिये बहुत कम समय मलि पाता है।

- अदालत के क्लर्कों और रिकॉर्ड कीपरों तक उनकी पहुँच सीमति है। इनमें से कई साथ ही अदालतों में कंप्यूटर और वीडियो रिकॉर्डर की सुवधि उपलब्ध न होना।
- पीठासीन अधिकारियों में से कई को कानून और प्रकरियाओं की उचित जानकारी नहीं होती है, जो कई सविलि सेवकों के लिये हथियार लाइसेंस से संबंधित संवेदनशील मामलों में परेशानी का कारण बन जाता है।

## अर्द्ध-न्यायकि न्यायालयों में सुधार के लिये:

- सरकार को इन एजेंसियों के कुशल कामकाज को प्राथमकिता देनी चाहिये और इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।
- इन एजेंसियों के कामकाज पर वसितु डेटा समय-समय पर कम-से-कम वार्षिक रूप से एकत्र और प्रकाशति किया जाना चाहिये।
  - इन्हें संबंधति वधानमंडलों के समक्ष रखा जाना चाहिये।
  - ये परणाम करमचारियों की संख्या को तरकसंगत बनाने के बारे में नरिणियों का आधार होना चाहिये।
- न्याय प्रशासन से संबंधति सभी सहायक कार्यों जैसे क शिकायतें दर्ज करना, समन जारी करना, अदालतों के बीच मामले के रिकॉर्ड के आदान-प्रदान, नरिणियों की प्रतियों जारी करना आदि को सुव्यवस्थति करने के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक मंच स्थापति किया जाना चाहिये।
  - यह इन नकियों के कामकाज का वश्लेषण करने और आँकड़ों के प्रकाशन की सुवधि के लिये एक ठोस आधार स्थापति कर सकता है।
- अधीनस्थ न्यायालयों का वार्षिक नरिीक्षण अनविरय किया जाए।
  - यह उच्च प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के लिये एक महत्त्वपूर्ण संकेतक होना चाहिये। नरिीक्षण पीठासीन अधिकारियों के अनुकूलति प्रशकिषण का आधार बन सकता है।
- इन न्यायालयों के कामकाज पर अंतःवषिय अनुसंधान को प्रोत्साहति किया जाना चाहिये।
  - यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान करेगा जैसे कानूनी सुधार या स्पष्ट दशा-नरिदेश जारी करना।
- समय-समय पर नरिणायक अधिकारियों का नयिमति प्रशकिषण और उनमुखीकरण किया जाना चाहिये।
- इन अर्द्ध-न्यायकि न्यायालयों के प्रदर्शन का राज्य सूचकांक बनाना और प्रकाशति किया जाए।
  - यह अन्य राज्यों की तुलना में उनके प्रदर्शन की ओर राज्यों का ध्यान आकर्षति करेगा और उन्हें कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा।
- महत्त्वपूर्ण नरिणियों, दशा-नरिदेशों और नरिदेशों को संकलति किया जा सकता है एवं राजस्व बोर्ड जैसे शीर्ष नरिणायक फोरम के पोर्टल पर प्रकाशति किया जा सकता है।
  - ये नचिले स्तर की एजेंसियों के लिये मददगार होंगे।
- न्यायकि कार्य संभालने वाले अधिकारियों का अधिक गहन प्रारंभिक प्रशकिषण इसमें सहायक होगा।
  - प्रशकिषुओं के बीच न्यायकि कार्य के महत्त्व को स्थापति किया जाना चाहिये और उनमेंकौशल एवं आत्मवशवास को वकिसति किया जाना चाहिये।
- प्रकरियात्मक सुधार जैसे स्थगन को कम करना, लखिति बहस को अनविरय रूप से दाखलि करना और नागरकि प्रकरिया संहति में सुधार के लिये वधिआयोग जैसे नकियों द्वारा प्रस्तावति ऐसे अन्य सुधारों को इन सहायक नकियों द्वारा अपनाया जाना चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

**प्रश्न.** "केंद्रीय प्रशासनकि अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के करमचारियों द्वारा या उनके खलिफ शिकायतों एवं परविदों के नविरण के लिये की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायकि प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।" व्याख्या कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2019)

**स्रोत:** इंडियन एक्सप्रेस